न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/05/2023	30–10–2023	19–06–2024

1. राजस्थान सरकार **जरिये** :–तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी विनोद कुमार जाति जैन निवासी 9/64 गली बगीची विश्वास नगर (शाहदरा) दिल्ली–32

(अप्रार्थनी)

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. **विभागीय प्रतिनिधि** **– उपस्थित**
2. **श्री राजेश भार्गव** **– वकील अप्रार्थनी**

––:: निर्णय ::––

तहसीलदार तिजारा के द्वारा यह रेफरेन्स प्रकरण जर्ये पत्राक 1178 दिनाक 03.06.2021 के द्वारा पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न0 1, 108, 115, 119, 121, 122 की किस्म गैरमुमकिन नला/नदी दर्ज रिकार्ड है, जो कि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा न0 1 वाके ग्राम कालियाकी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0) जिसके हाल खातेदार/गैर खातेदार सरोज कुमारी पत्नी विनोद कुमार जैन साकिन 9/64 गली बगीची विश्वास नगर साहदरा दिल्ली खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2016 में राजकीय गैर मुमकिन जोहड/नदी/नाले/नहर दर्ज रिकार्ड थी, जो किसी भी व्यक्ति को खातेदारी /गैरखातेदारी में अंकित नही की जा सकती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनाक 02.08.2004 प्रकरण संख्या 1536/2003 बउनवान अब्दूल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी व्यक्ति की खातेदारी/गैरखातेदारी मे दर्ज हो गयी है, तो उक्त आराजी को वापिस राजकीय भूमि तथा किस्म गैर मुमकिन जोहड/नदी/नाले/नहर घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

पूर्व बन्दोवस्ती जमाबन्दी सम्वत 2016–2035, 2029 तथा हाल बन्दोबस्ती जमाबन्दी सम्वत मिलान क्षैत्रफल एंव नकल नामान्तकरण संख्या 133 निर्णय दिनाक 26.07.1986, 134 निर्णय दिनाक 10.09.1986, 215 निर्णय दिनाक 21.02.1994 निरस्त किये जाने योग्य है, तथा भूमि राजकीय व किस्म उक्तानुसार गैर मुमकिन दर्ज की जानी अपेक्षित है। हाल खसरा न0 1 रकबा 0.76 है0 का साबिक आराजी खसरा न0 1 रकबा 2 बिधा 19 बिस्वा की किस्म जमाबन्दी संम्वत 2016 में गैरमुमकिन नला है, तथा 3/1 रकबा 1 बिस्वा

की किस्म गैर मुमकिन नला नही है। अतः जमाबन्दी सम्मत 2016 के मुताबिक साबिक आराजी खसरा न0 1 मिन रकबा 2 बिघा 19 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन नला की भूमि होने के कारण खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर जर्ये वकील अपना जवाब पेश कर अवगत कराया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी ग्राम कालियाकी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है, आराजी खसरा न 1 रकबा 3 बीघा अज किस्म गैर मुमकिन नला दर्ज है, इस लिये तहसीलदार तिजारा द्वारा उक्त आराजी खसरा न0 को अब्दूल रममान बनाम सरकार रेफरेन्स प्रकरण तैयार किया गया है। चूँकी उक्त आराजी का मिन प्रार्थीनी द्वारा दिनाक 12.06.1991 को रजिस्टर्ड बयनामा रामसिह पुत्र लालमन एंव गिल्लू पुत्र सुलतान गुर्जर निवासी तिजारा से कराया गया है, और उसका प्रतिफल 22,220/ रूपयें भी विक्रेतागण को अदा किये गये है। उक्त बयनामा उप पंजियक तिजारा के यहा पंजिबद्व किया गया है। और उक्त बयनामा के आधार पर मिन प्रार्थनी के हक में नामान्तकरण संख्या 215 दर्ज होकर स्वीकार किया गया है। वक्त खरीद से ही मिन प्रार्थनी उक्त आराजी पर काश्त करती चली आ रही है, किस्म गलत दर्ज है, जबकि उक्त आराजी काश्त के ही कार्य में आ रही है। तथा प्रार्थनी द्वारा प्रतिफल राशि अदा कर बयनामा कराया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त खसरा न0 का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नला की किस्म को परिवर्तित किया जावे। तथा प्रार्थनी की खातेदारी की आराजी को सिवायचक घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार तिजारा एव अप्रार्थनी के द्वारा पेश जवाब दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तिजारा द्वारा यह रेफरेन्स प्रकरण हाल खसरा न0 1 रकबा 0.76 है0 का साबिक आराजी खसरा न0 1 रकबा 2 बिधा 19 बिस्वा ग्राम कालियाकी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0) की किस्म जमाबन्दी संम्वत 2016 में गैरमुमकिन नला है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानो के तहत उक्त किस्म की भूमि पर किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाक 02.08.2004 के बअनुवान अब्दूल रहमान बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया गया है, कि उक्त किस्म की भूमियो को वापिस दिनाक 15.08.1947 की स्थिति में बहाल किया जावे। मुताबिक जमाबन्दी संम्वत 2016 साबिक आराजी खसरा न0 1 रकबा 2 बिधा 19 बिस्वा ग्राम कालियाकी तहसील तिजारा गैरमुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है, जिसके हाल आराजी खसरा न0 1 रकबा 0.76 है0 कायम किये है। जिस पर अप्रार्थनी खातेदार दर्ज है, जो विधिसंगत नही है। सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार तिजारा द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि हाल आराजी खसरा न0 1 रकबा 2 बिधा 19 बिस्वा ग्राम कालियाकी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0) से अप्रार्थनी के नाम को राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर सिवायचक दर्ज कर भूमि की किस्म गैर मुमकिन नला दर्ज करनी की अभिशंषा के साथ माननीय निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर को भेजा जाता है। निवेदन है, कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड से खातेदार का नाम कलमजन किया जाकर आराजी की किस्म पुनः गैर मुमकिन नला दर्ज किये जाने के आदेश पारित

करने का श्रम करे। साथ सयम–समय पर दर्ज कर स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या क्रमश 133 निर्णय दिनाक 26.07.1986, 134 निर्णय दिनाक 10.09.1986, 215 निर्णय दिनाक 21.02.1994 भी निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थनी को निर्देशित किया जाता है, कि वो दिनाक 05.08.2024 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में उपस्थित होकर पैरवी की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार तिजारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)